THE COURT

195 of 2017 B.A

Date of order or Proceeding

## Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Signature of Parties or Pleaders where necessary

13/06/2017 01:15 To 01:30 P.M आवेदक / अभियुक्त बंटीसिंह द्वारा श्री ब्रजराज सिंह गुर्जर अधिवक्ता उपस्थित ।

राज्य द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री बी.एस. बघेल उपस्थित।

विचारण न्यायालय / अधीनस्थ न्यायालय का मूल आपराधिक प्रकरण क0—1353 / 2011 उनवान राज्य द्वारा पुलिस थाना मौ वि0 बंटी गुर्जर का मूल अभिलेख प्राप्त है।

आवेदक ब्रजेश के जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा—439 द0प्र0सं0 के साथ उक्त जमानत आवेदनपत्र प्रथम जमानत आवेदनपत्र होने के संबंध में आवेदक बंटीसिंह के भाई बब्बू राजा के द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

जमानत आवेदनपत्र पर उभयपक्ष के तर्क सुने गये।

आवेदक / अभियुक्त बंटीसिंह की ओर व्यक्त किया गया है कि विगत दिनांक को आवेदक की मां की मृत्यु होने से उनकी तेरहवीं व शोक में रहने से वह पेशी पर उपस्थित नहीं हो सका था। आवेदक दि0—10 / 10 / 2016 से निरोध में है तथा दि0—26 / 12 / 2016 को उसका जमानत आवेदनपत्र निरस्त कर दिया गया है, वह 7 माह से निरोध में है। वह अपने परिवार में कमाने वाला मात्र एक ही व्यक्ति है। परिवार की देख—रेख करने वाला अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। उक्त आधार पर जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गयी है।

अभियोजन की ओर से मौखिक रूप से घोर विरोध किया गया है और जमानत आवेदन निरस्त किए जाने पर बल दिया गया है।

उभयपक्ष को सुने जाने एवं प्रकरण विचारण न्यायालय के मूल अभिलेख का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि दि0—12/04/2012 को आवेदक/अभियुक्त बंटीसिंह गुर्जर अनुपस्थित हो गया था, उसके जमानत मुचलके जब्त किए गये, उसके बाद दि0—15/12/2012 को उसे फरार घोषित किया गया है और स्थाई गिरफतारी वारण्ट जारी किया गया है। दि0—27/05/2013 को आवेदक/अभियुक्त बंटीसिंह को स्थाई गिरफतारी वारण्ट के पालन में गिरफतार कर विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, उसे

दि0-04/07/2013 को जमानत पर रिहा किया गया है। दि0-22 / 06 / 2015 को आवेदक / अभियुक्त बंटीसिंह पुनः अनुपस्थित हो गया है। दि0-23/07/2015 को उसे गिरफतारी वारण्ट के पालन में प्रस्तुत किया गया । दि0-28 / 09 / 2015 को आवेदक / अभियुक्त बंटीसिंह पुनः जमानत पर रिहा किया गया है, दि0-11/04/2016 को वह पुनः अनुपस्थित हो गया है। दि0-22 / 08 / 2016 को आवेदक / अभियुक्त बंटीसिंह का स्थाई गिरफतारी वारण्ट जारी किया गया है। उसके बाद दि0–10 / 10 / 2016 को उसे स्थाई गिरफतारी वारण्ट के पालन में गिरफतार कर विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और तब से वह निरोध में है। यह स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त बंटीसिंह बार–बार अनुपस्थित रहने का आदी है, जिससे कि निश्चित रूप से विचारण अवरूद्ध रहा है, जहां तक कि मां की मृत्यू होने से तेरहवीं व शोक में रहने का प्रश्न है, उससे पूर्व भी आवेदक / अभियुक्त बंटीसिंह दो बार अनुपस्थित रह चुका है। यदि आवेदक / अभियुक्त बंटीसिंह को पुनः जमानत पर रिहा किया जाता है तो निश्चित ही वह पुनः अनुपस्थित हो जायेगा और विचारण अवरूद्ध हो जायेगा। जैसा कि उसके आचरण से स्पष्ट है।

अतः उपरोक्त समस्त परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त बंटीसिंह की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा—439 बाद विचार **निरस्त** किया जाता है।

जमानत आदेश की प्रति के साथ विचारण/अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस हो।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(मोहम्मद अज़हर) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड